उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 21 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है ।
(2) ये नियम दिनांक 29 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

नियम 24 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 24 के उपनियम (4) में, "30 सितंबर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्तूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

नियम 118 में संशोधन

3. मूल नियमों के नियम 118 में, "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 119 में संशोधन

4. मूल नियमों के नियम 119 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 120 में संशोधन

5. मूल नियमों के नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 120क में संशोधन

6. मूल नियमों के नियम 120क में, "**प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण**" पार्श्व शीर्ष अंतःस्थापित किया जाएगा।

......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

7744
21/11/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में संशोधन

7. प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में-

(क) **"अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन"** शीर्ष के स्थान पर **"प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन"** शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष भाग–क के अधीन मद (एक) के सामने "अनंतिम आई डी" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संं0 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.958/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 21 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.958 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 21 November, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act(as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017. **(2)** They shall deemed to come into force from the 29th day of September, 2017.
Amendment in Rule 24	**2.**	In sub-rule (4) of rule 24 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), for the figures, letters and word, "30th September", the figures, letters and word "31st October" shall be substituted.
Amendment in Rule 118	**3.**	In rule 118 of the "Principal Rules", for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.
Amendment in Rule 119	**4.**	In rule 119 of the "Principal Rules", for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.
Amendment in Rule 120	**5.**	In rule 120 of the "Principal Rules", for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.

Amendment in Rule 120A

6. In rule 120A of the "Principal Rules", the marginal heading "**Revision of declaration in FORM GST TRAN-1**" shall be inserted.

Amendment in FORM GST REG-29

7. In **FORM GST REG-29, -**

(a) for the heading, "**APPLICATION FOR CANCELLATION OF PROVISIONAL REGISTRATION**", the heading, "**APPLICATION FOR CANCELLATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS**" shall be substituted;

(b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters "Provisional ID", the letters "GSTIN" shall be substituted.

(Radha Raturi)
Principal Secretary